न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 42/2023

दायर दिनांक 03.10.2023

निर्णय दिनांक 30.01.2024

उनवान

1. चन्दा पुत्री श्री ज्ञानमल कोली कोली मोहल्ला, सांगानेरी गेट, जाति कोली उम्र वयस्क निवासी भीलवाड़ा राज.
2. नीरू पुत्री ज्ञानमल कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा राज.
3. भैरूलाल पुत्र श्री ज्ञानमल कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा राज.
4. डिम्पल देवी पुत्री श्री कंवर लाल कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा राज.
5. तिलकचन्द पुत्र श्री कंवर लाल कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा राज.
6. बसन्ती देवी पुत्री श्री कंवर लाल कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा राज.
7. युवराज पुत्र श्री कंवर लाल कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा राज.
8. श्रीमती लच्छी देवी पत्नि श्री कंवर लाल कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा राज.
9. मोनू पुत्र श्री कंवर लाल कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा राज.
10. श्रीमती मुली बाई पत्नि स्व. श्री शोभालाल कोली जाति कोली उम्र वयस्क निवासी कोली मोहल्ला, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश खटीक जाति कोली उम्र वयस्क निवासी बाबा रामदेव मंदिर के पास, न्यू खटीक मोहल्ला, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा राज. बाइ
2. श्री भगवती लाल पुत्र श्री भंवर लाल चपलोत उम्र वयस्क निवासी आजाद नगर, भीलवाड़ा राज.
3. श्री सुनिल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार दरक उम्र वयस्क निवासी दरक हाउस, आजाद चौक के पास, भीलवाड़ा राज.
4. श्रीमती सीता देवी पत्नि श्री केदारमल बाहेती उम्र वयस्क निवासी बाजार नं.02, भीलवाड़ा राज.

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा राज, जरिये सचिव ...
5. राज.
6. श्रीमान् तहसीलदार साहब, भीलवाडा जिला भीलवाड़ा राज.

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी, अमीत कोठारी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: <u>निर्णय</u> :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हरणीकलां प0ह0 हरणीकलां भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071—2074 के खाता संख्या 116 की अभिलिखित आराजियात 176 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4299 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

Ghad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ाजा हरणीकलां प०ह० हरणीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला ालवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 116 की अभिलिखित आराजियात 76 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4299 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया ाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार ापती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी ाुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा